पत्रांक– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) योजना–43/2020 (पार्ट–1)–

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषय :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल, पटना के परिसर में नेशनल कॉउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) के द्वारा Observatory Dome तथा एक अतिरिक्त टेलीस्कोप के अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 99,71,200.00 (निन्यानवे लाख इकहत्तर हजार दो सौ रूपये) मात्र लागत की योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में एन०सी०एस०एम०, कोलकाता को राशि विमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने दिनांक–08.09.2025 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल, पटना के परिसर में नेशनल कॉउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) के द्वारा Observatory Dome तथा एक अतिरिक्त टेलीस्कोप के अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 99,71,200.00 (निन्यानवे लाख इकहत्तर हजार दो सौ रूपये) मात्र लागत की योजना की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त राशि सहायक अनुदान के रूप में एन०सी०एस०एम०, कोलकाता को विमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–43 अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के ''मुख्यशीर्ष'' –2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष –00, लघुशीर्ष –004– अनुसंधान, उपशीर्ष –0101– बिहार काउन्सिल ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना के अधीन 31 05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43–2203000040101 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे CFMS प्रणाली से निदेशक –सह– सचिव (कार्यकारिणी), बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना के नाम से पी०एल० खाता में जमा किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(a) Deposit Account Number- PNBPLA009

(b) Receipt HoA- 84480012000880001

(c) Payment HoA- 84480012000880002

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।

6. निकासी की जाने वाली राशि का व्यय, बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधन) 2005, वित्त विभाग के विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

7. विमुक्त हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) योजना–43/2020 (पार्ट–1) के पृ० –27/टि० पर प्राप्त है।

9. परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना द्वारा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि (2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) योजना–43/2020 (पार्ट–1) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) योजना–43/2020 (पार्ट–1) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) योजना–43/2020 (पार्ट–1) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी०, तारामंडल/उप महानिदेशक, नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) योजना–43/2020 (पार्ट–1) 4985 **/पटना, दिनांक–** 10/9/25

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक (त०) सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/लेखा शाखा/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव